प्रारुप—11

<u>प्रतिवेदन</u>

परियोजना विवरण :— जनपद पिथौरागढ में गोगिना सल्ला मो० मार्ग से चिंगरी पन्ना चौड मोटर मार्ग का निर्माण।

जनपद पिथौरागढ़ में गोगिना सल्ला से चिंगरी पन्ना चौड तक मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं0 45/X।।।–2/2015/02(4) दिनांक 17/03/2015 द्वारा 1.500 किमी0 हेतु रु0 164.74 लाख स्वीकृत हुआ है। जिसमें 7.00 मी0 चौडाई के अनुसार वन पंचायत भूमि 0.35 हे0, राज्य भूमि 0.42 हे0, नाप भूमि 0.28 हे0 प्रभावित होती है। उक्त मार्ग के निर्माण से चिंगरी व पन्ना चौड की कुल 120 जनसंख्या लाभान्वित होगी। उक्त मो0 मार्ग में दो समरेखन पर विचार किया गया। वैकल्पिक समरेखन उपयुक्त न होने के कारण प्रस्तावित समरेखन में प्रभावित होने वाली 0.77 हे0 राज्य वन भूमि न्यूनतम है जो उपयुक्त समरेखन है।

वन भूमि में मोटर मार्ग प्रस्तावित करने का औचित्य :—

1.राज्स के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष राज्य भूमि क्षेत्र लगभग 60 प्रतिशत है। जबकि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में कम प्रतिशत ही राज्य भूमि का क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि औचित्यपूर्ण है।

2. दुर्गम पहाडी क्षेत्र होने एवं कास्तकारों के छोटे छोटे भागों में भू स्वामित्व होने के कारण मोटर मार्ग को सम्पूर्ण लम्बाई में नाप भूमि में बनाया जाना सम्भव नही है।

3. इस मोटर मार्ग के निर्माण से वन विभाग को आरक्षित वन क्षेत्र की निगरानी में सहुलियत होगी।

3. दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण दो से अधिक विकल्पो में विचार किया जाना सम्भव नही हो पाता है दो संरेखणों में सर्वेक्षण करने के पश्चात भू वैज्ञानिक की रिर्पोट, मोटर मार्ग की लम्बाई कम होने, अधिक जनसंख्या लाभान्वित होने, वृक्षो के कम प्रभावित होने तथा उत्सर्जित मलवे की मात्रा कम होने के कारण एक मात्र यही संरेखण मोटर मार्ग निर्माण हेतु सबसे उपयुक्त पाया गया।

अतः प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति उपरान्त मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव होगा। जिस हेतु प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे है ताकि मार्ग का निर्माण कार्य किया जा सके।

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
पिथौरागढ़।

Assistant Engineer
Rural Works Department
Sub Division Pithoragarh

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
पिथौरागढ़।

Executive Engineer
Rural Works Department
Pithoragarh